संख्या–322/35–4–2014

प्रेषक,

अबरार अहमद,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0,लखनऊ।

नियोजन अनुभाग–4

लखनऊ:दिनांक: 21 अक्टूबर,2014

विषयः– वर्ष 2014–15 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत पुनरीक्षित स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद रायबरेली में शासनादेश संख्या–476/35–4–2013 दिनांक 28 मार्च, 2013 द्वारा सड़क निर्माण से संबंधित स्वीकृत 19 कार्यों की रु0 2636.35 लाख (जिसमें मनरेगा अंश रु0 158.87 लाख तथा अधिष्ठान व्यय एवं 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि सम्मिलित है) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये मनरेगा अंश की धनराशि रू. 158.87 लाख को घटाते हुये अवशेष लागत रू. 2477.48 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू. 1238.74 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है। इन कार्यों में से एक कार्य यथा: **कमालपुर टंकी से रसूलपुर सम्पर्क मार्ग** की लागत रू. 274.87 लाख में से मनरेगा अंश रू. 15.71 लाख घटाते हुये अवशेष लागत रू. 259.16 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू. 129.58 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। एतदद्वारा उक्त कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति को रू. 204.40 लाख की लागत पर पुनरीक्षित किये जाने की निम्न शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1– उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 28 मार्च,2013 की शर्ते यथावत रहेगी।

2– सन्दर्भित शासनादेश के माध्यम से अवमुक्त धनराशि को प्रथम किस्त के रूप में आंकलित किया जायेगा तथा मूल स्वीकृति शासनादेश में इंगित शर्तों की अनुपालन आख्या उपलब्ध होने पर अवशेष देय धनराशि पर यथा समय विचार किया जायेगा।

3– प्रश्नगत निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा यथा संशोधित स्वीकृत आगणन (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार किये जायेंगे। कार्य को पुनरीक्षित लागत के अन्तर्गत ही पूर्ण गुणवत्ता एवं विशिष्टियों के साथ समय से पूरा किया जायेगा, भविष्य में पुनरीक्षित लागत पर विचार नहीं किया जायेगा।

4– यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना /कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

5– जिलाधिकारी द्वारा यथा संशोधित/स्वीकृत आगणन के अनुसार कार्य हेतु अधिकृत कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

2– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–ई–5–1171/दस–2014 दिनांक 16 अक्टूबर,2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

21/10/14

(अबरार अहमद)
विशेष सचिव।

संख्याः 522 (1)/35–4–2014 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–प्रधान महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
2–महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3–प्रमुख सचिव, लोक निर्माण/ग्राम्य विकास/गन्ना विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण सेवा/कृषि विपणन।
4–प्रमुख सचिव, वित्त।
5–निजी सचिव, मा.मुख्य मंत्री जी।
6–मण्डलायुक्त, लखनऊ मण्डल ।
7–जिलाधिकारी, रायबरेली।
8–मुख्य विकास अधिकारी, रायबरेली।
9–कोषाधिकारी, रायबरेली।
10–गार्ड फाईल।
11–वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–5
12–राज्य योजना आयोग–1
13–जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, रायबरेली।

भवदीय,

21/10/14

(अबरार अहमद)
विशेष सचिव।